उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

संख्या 2400 औ0स0 / 2008—19 (125) ए0एस0 / 2001 दिनांकः 19 जून, 2008

कार्यालय — ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों की घातक एवम् साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या—1780—औस0सं0—17 / पाकालि / 2006—19(125)ए0एस0 / 2001, दिनांक 19.4.06 में निम्नवत् संशोधन तत्काल प्रभाव से लिये जाते हैः—

(क) वर्तमान में घातक मानव विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप अनुमन्य देय अनुग्रह धनराशि रू0 50,000 / —(रूपया पचास हजार) के स्थान पर रू0 1,00,000 / — (रूपया एक लाख) प्रति व्यक्ति होगी ।

(ख) बाहरी व्यक्ति / व्यक्तियों की साधारण दुर्घटना में हुई पूर्ण अपंगता की स्थिति में वर्तमान में अनुमन्य क्षतिपूर्ति रू0 50,000 / —(रूपये पचास हजार) से बढ़ाकर रू0 1,00,000 / — (रूपये एक लाख) प्रति व्यक्ति तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू0 1,00,000 / — (रू0 एक लाख) की धनराशि को अर्जन क्षमता में चिकित्सीय प्रमाण पत्र. के आधार पर हुए प्रतिशत हृास के अनुसार गणना कर अनुपाति अनुग्रह धनराशि अनुमन्य की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रू0 एक लाख होगी।

(ग) पशुओं की घातक दुर्घटना हेतु अनुमन्य अनुग्रह धनराशि रू0 5000 / —(रूपये पॉच हजार) अनुमन्य की जायेगी ।

प्रत्येक विद्युत दुर्घटना की विद्युत सुरक्षा निदेशालय अथवा अन्य संस्थानों द्वारा की गई जॉचों को संज्ञान में लेकर विभागीय जॉच की जाये और क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली विद्युत दुर्घटना हेतु उत्तरदायी (यदि कोई हो तो) कार्मिक (अधिकारी / कर्मचारी) से अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त की जाये।

उक्त आदेश दिनांक 19.6.2008 अथवा इसके उपरान्त होने वाली विद्युत दुर्घटना के प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावी होगें।

अध्यक्ष

संख्याः 2400 (1) औस—17 / पाकालि / 2008—तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण

Electrical Accident

................2 / —

निगम लिमिटेड / केस्को, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / कानपुर ।

(2) मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(3) समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों / इकाईयों को उपलब्ध करा दें ।

(4) समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(5) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(6) महाप्रबन्धक, लेखा एवम् सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(7) उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(8) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

(9) अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(10) कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी / अनुभाग / शिविर ।

(11) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

(12) कट फाइल / पत्रावली संख्या–8–एम / 92 ।

आज्ञा से,

19/6/08

(अशोक कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)